## नगर पंचायत चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि

## 1.04.2012 से 31.03.2017

### भाग-एक

1 **(क) प्रारम्भिक**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81- फिन (एल०ए०) खण्ड –(ख) IV/ दिनांक 10.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत चुवाड़ी के लेखों (अवधि 1.4.12 से 31.3.17) का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे**

**(i) प्रधान**

| क्र० सं० | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमति संतोष कुमारी | 01.04.11 से 17.01.16 |
| 2 | श्री विकास कुमार | 18.01.16 से लगातार |

**(ii) सचिव/कार्यकारी अधिकारी**

| क्र० सं० | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री ललित कुमार (अतिरिक्त कार्यभार) | 18.08.11 से 22.07.12 |
| 2 | श्री रणवीर सिंह वर्मा (अतिरिक्त कार्यभार) | 23.07.12 से 06.02.14 तक |
| 3 | श्रीमति राखी कौशल (अतिरिक्त कार्यभार) | 06.02.14 से लगातार |

**(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :-**

| क्र० सं० | गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण | पैरा संख्या | (₹) लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को पुनर्निवेशित न करने पर ब्याज की हुई वितीय हानि | 5 (ख) | 0.45 |
| 2 | सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर बैंक द्वारा कम ब्याज देने के कारण ब्याज की हुई वितीय हानि | 5 (ग) | 0.15 |
| 3 | अनुदान का उपयोग न करना | 6 (क) | 95.71 |
| 4 | गृह कर की राशि वसूली हेतु बकाया | 7 | 2.82 |
| 5 | दुकानों के किराये की राशि वसूली हेतु बकाया | 9 | 7.34 |
| 6 | दुकानों के किराए से प्राप्त आय पर सेवाकर का भुगतान न करना | 11 | 1.07 |
| 7 | तहबाजारी के रूप में वसूल की गई राशि को जमा न करना | 13 | 0.18 |
| 8 | टेन्डर आमंत्रित किये बिना, निविदा के आधार पर अधिक कार्य करवाने बारे | 15 | 4.00 |
| 9 | श्री अनिल गौतम, कनिष्ठ अभियंता को गलत वेतनमान | 16 (ख) | 1.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | निर्धारण के फलस्वरूप वेतन के रूप में किया गया अधिक भुगतान | | |
| 10 | श्री हर्ष गुप्ता, कनिष्ठ सहायक ACPS(4:9:14) की बकाया राशि की गलत वेतन गणना के फलस्वरूप वेतन के रूप में किया गया अधिक भुगतान | 16 (ग) | 1.12 |

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन**

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

**भाग- दो**

**2 वर्तमान अंकेक्षण**

नगर पंचायत चुवाड़ी के लेखों अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 का अंकेक्षण कार्य श्री विजय कुमार वालिया, सहायक नियन्त्रक तथा श्री नरेन्द्र कुमार, (आ. स.) द्वारा दिनांक 28.08.17 से 03.11.17 तक चुवाड़ी मे किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

| **वित्तीय वर्ष** | **आय** | **व्यय** |
|---|---|---|
| 2012-13 | 06/12 | 07/12 |
| 2013-14 | 01/14 | 09/13 |
| 2014-15 | 03/15 | 04/14 |
| 2015-16 | 03/16 | 12/15 |
| 2016-17 | 10/16 | 03/17 |

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव/कार्यकारी अधिकारी (नगर पंचायत) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

**3 अंकेक्षण शुल्क**

नगर पंचायत के अवधि 1.4.12 से 31.3.17 तक के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क ₹79800 आँका गया। उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या FIN(LA)C/K&C/2017-102 दिनांक 26.10.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में नगर पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या-286851 दिनांक 30.10.2017 के माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

**4 वितीय स्थिति**

नगर पंचायत के अवधि 1.4.12 से 31.3.17 के विभिन्न निधि लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट –"ख"** पर दिया गया है:-

(क) मुख्य रोकड़ वही

| **वित्तीय वर्ष** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | 9457111.36 | 7641551.36 | 5237244.36 | 8849449.36 | 7476095.70 |
| अपने स्त्रोतों से आय | 1414569.00 | 1099195.00 | 1254873.00 | 1293709.00 | 797086.50 |
| अनुदान की राशि | 4676108.00 | 3844259.00 | 8919231.00 | 7299145 | 7879375.00 |
| ब्याज | 363626.00 | 267646.00 | 265420.00 | 326756.34 | 453378 |
| कुल राशि | 15911414.36 | 12852651.36 | 15676768.36 | 17769059.70 | 16605935.20 |
| व्यय | 8269863.00 | 7615407.00 | 6827319 | 10292964.00 | 9850300.00 |
| अंतिम शेष | 7641551.36 | 5237244.36 | 8849449.36 | 7476095.70 | 6755635.20 |

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹6755635.20

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹7246237.20

(कृप्या **परिशिष्ट "ख"** पर विवरण देखें)

अन्तर की राशि : ₹496852

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bank Reconciliation Statement as on 31.03.17** | | | | | |
| | Particulars | | | | **Debit** | Credit |
| | **Closing balance as per cash book** | | | | **6755635.20** | |
| Add:- | Grant received /deposited into bank on dt.31.03.17 but not entered in cash book SBI A/C -11522427529 | | | | **372388.00** | |
| Add:- | Cheque issued but not cleared by the bank upto 31.03.17 | | | | | |
| | **Dated** | **Cheque no.** | **Amount** | **A/c No.** | | |
| | 18.03.17 | 991179 | 986 | SBI-27529 | | |
| | 29.03.17 | 991204 | 13528 | SBI-27529 | | |
| | 29.03.17 | 991205 | 1800 | SBI-27529 | | |
| | 08.11.16 | 217178 | 8150 | SBI-27529 | | |
| | 31.03.17 | 991185 | 100000 | SBI-27529 | | |
| | | Total | **124464** | | **124464.00** | |
| Less:- | Amt.of cheque received/enetered in cash book but not cleared by | | | | | |
| | Bank upto 31.03.17 - ch.no. 295143 dt. 17.03.17 (SBI-27529) | | | | | 6250.00 |
| **Closing balance as per various pass book (Please see detail given below)** | | | | | | **7246237.20** |
| **Detail of various pass book as on 31.03.17** | | | | | | |
| **Sr.No.** | **Name of bank & A/c no.** | | **Closing balance** | | | |
| 1 | HPSCB-18010105636 | | 815067 | | | |
| 2 | HPSCB-18010105607 | | 109900 | | | |
| 3 | SBI-11522427555 | | 667016.09 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SBI-11522427711 | | 1371057.59 | | | |
| 5 | SBI-11522427529 | | 3273533.52 | | | |
| 6 | PGB-3028007487 | | 954505.00 | | | |
| 7 | PLA with sub Treasury | | 55158.00 | | | |
| | **Total Rs…..** | | **7246237.20** | | | |

**(ख) TOURISM रोकड़ वही**

| **वित्तीय वर्ष** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | 717834 | 273579 | 285339 | 259055 | 269521 |
| अपने स्त्रोतों से आय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अनुदान राशि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ब्याज | 28144 | 11760 | 10844 | 10466 | 13703 |
| कुल राशि | 745978 | 285339 | 296183 | 269521 | 283224 |
| व्यय | 472399 | 0 | 37128 | 0 | 29466 |
| अंतिम शेष | 273579 | 285339 | 259055 | 269521 | 253758 |

SBI A/C NO. 30812781034 as on 31.03.17 ₹253758

**(ख) RGURF रोकड़वही**

| **वित्तीय वर्ष** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | 2997872 | 3283344 | 3353785 | 3852399 | 3793163 |
| अपने स्त्रोतों से आय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अनुदान राशि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ब्याज | 285472 | 70441 | 498614 | 267137 | 273983 |
| कुल राशि | 3283344 | 3353785 | 3852399 | 4119536 | 4067146 |
| व्यय | 0 | 0 | 0 | 326373 | 247157 |
| अंतिम शेष | 3283344 | 3353785 | 3852399 | 3793163 | 3819989 |

**Balance as per banks**

| **Particular** | **Amount** |
|---|---|
| HPSCB A/C NO. 9761 as on 31.03.17 | 1227825 |
| FDR"s HPSCB-A/C NO.726574 as on 31.03.17 | 2600000 |
| Total | 3827825 |

**Bank Reconcilitation Staements**

| Particulars | **Amount** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Closing balance as per cash book** | **3819989** |
| Add:- cheque issued but not cleared into bank upto 31.03.17 – 5649042 dated 18.03.17, HPSCB-9761 | 7836 |
| **Closing balance as per various pass book** | **3827825** |

**(घ) BRGF रोकड़वही**

| वित्तीय वर्ष | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | 0 | 1030128 | 1698234 | 1622723 | 1904520 |
| अपने स्त्रोतों से आय | 0 | 0 | 0 | 3835 | 0 |
| अनुदान राशि | 1015000 | 2345763 | 0 | 0 | 0 |
| सामान्य रोकड़- -वही से प्राप्त राशि | 0 | 0 | 0 | 1264395 | 0 |
| ब्याज | 15128 | 66070 | 66566 | 38158 | 122709 |
| कुल राशि | 1030128 | 3441961 | 1764800 | 2929111 | 2027229 |
| व्यय | 0 | 1743727 | 142077 | 1024591 | 408313 |
| अंतिम शेष | 1030128 | 1698234 | 1622723 | 1904520 | 1618916 |

| **Bank Reconciliation Statement** | |
|---|---|
| **Closing balance as per cash book** | **1618916.00** |
| Less:-Bank Charges debited by bank but not entered in cash book | 17.17 |
| **Closing balance as per pass book -** PGB A/C NO.-99288100063299 as 31.03.17 | **1618898.83** |

**5 निवेश**

**(क) परिशिष्ट – ग** के अनुसार दिनांक 31.03.17 को निवेश की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

| **एफ.डी.आर. न. व बैंक का नाम** | **दिनांक** | **निवेशित राशि** | **दर** | **अवधि (वर्ष)** | **परिपक्वता दिनांक** |
|---|---|---|---|---|---|
| 18030306762-HPSCB-(RGURF) | 09.12.16 | 2600000 | 7.5% | 1 | 09.12.17 |

**(ख) सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को देरी से पुनर्निवेशित करने के परिणामस्वरूप ₹45000 ब्याज के रूप में हुई वितीय हानि बारे**

जाँच में पाया गया कि सावधि जमा योजना खाता संख्या -18030306762 (RGURF) हि.प्र.स.का.बैंक में निवेशित राशि पर ₹45000 अर्जित ब्याज के रूप में बैंक द्वारा कम क्रेडिट दिया गया था, जबकि इस अवधि में निवेशित राशि सम्बंधित बैंक में ही जमा थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

| **परिपक्वता तिथि** | **परिपक्वता राशि** | **पुनर्निवेश तिथि** | **पुनर्निवेशित राशि** | **ब्याज दर** | **जितने दिन का कम ब्याज दिया गया** | **अर्जित ब्याज के रूप में बैंक द्वारा कम क्रेडिट की गई राशि** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.14 | 3060633 | 26.11.14 | 2600000 | 9% | 40 दिन | 25714 |
| 03.11.15 | 2842017 | 09.12.15 | 2600000 | 7.5 % | 36 दिन | 19286 |
| | | | | | **कुल योग** | **₹45000** |

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या. FIN(LA)C/K DC/2017-77 दिनांक 04.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत के पत्र क्रमांक स.-687 दिनांक 06.09.17 व बैंक पत्रांक संख्या – BM/CHW/04/2017 के अंतर्गत बैंक द्वारा 40 दिन के कम ब्याज ₹25714 के विरुद्ध 6% की दर से ₹17095 दिनांक 12.10.17 को ब्याज के रूप में खाता संख्या-18010109761 में क्रेडिट कर दी गई I अत: शेष राशि 36 दिन के अर्जित ब्याज के रूप में कम दी गई जिसकी सम्बंधित उत्तरदायी अधिकारी से वसूली की जाए अन्यथा कम जमा कि गई राशि के वसूलने हेतु प्रकरण सम्बंधित बैंक के साथ उठाया जाए तथा वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

**(ग) सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर कम ब्याज दर से ब्याज देने के परिणामस्वरूप ₹15150 की हुई वितीय हानि बारे**

जाँच में पाया गया कि सावधि जमा योजना खाता संख्या -18030306762 (RGURF) हि.प्र.स.का.बैंक में निवेशित राशि पर बैंक द्वारा कम ब्याज दर से ब्याज दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹15150 की वितीय हानि हुई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

| विवरण | पुनर्निवेशित राशि परिपक्कता राशि | परिपक्कता राशि | ब्याज दर | अवधि |
|---|---|---|---|---|
| पुरानी एफ.डी.आर. में पुनर्निवेश की जो ब्याज दर दर्शाई गई थी | 2600000 | 2815703 | 8.05% | 03.11.15 से 03.11.16 |
| नई एफ.डी.आर.में पुनर्निवेश की जो ब्याज दर दर्शाई गई व जिस दर से ब्याज दिया गया | 2600000 | 2800553 | 7.5 % | 09.12.15 से 09.12.16 |
| **जितनी ब्याज की राशि कम दी गई** | | **15150** | | |

अत: इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक में उठाया जाए तथा कम ब्याज दर से, ब्याज देने की स्थिति स्पष्ट करके ₹15150 की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**6 अनुदान**

नगर पंचायत चुवाड़ी की अंकेक्षणाधीन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की गई राशियों तथा अनुदान के अन्तशेष राशि की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर दिया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:-

**(क) दिनांक 31.03.17 को अनुदान ₹95.71 लाख व्यय हेतु शेष**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की अनुदानों व उनसे प्राप्त की गयी राशि की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि में से दिनांक 31.03.17 को ₹9571375 अनुपयुक्त पड़ी थी, जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयोग इन अनुदान राशियों को समयवध उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उदेश्य जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई

थी, व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 7 गृह कर की ₹2.82 लाख वसूली हेतु शेष

नगर पंचायत की आय का मुख्य साधन गृहकर है, जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन नगर पंचायत को दिनांक 31.03.17 तक ₹282135 गृहकर के रूप में वसूलनी शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ड."** में दिया गया है, जो कि एक अति गम्भीर वितीय अनियमितता है। **अतः पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही प्रतीत होती है। इसलिए गृहकर की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाये तथा शेष गृहकर को शीघ्र वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान** अवगत करवाएँ।

## 8 नव निर्मित मकानों के गृहकर का निर्धारण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 के दौरान नए नक़्शे पास किये गए थे लेकिन इन मकानों पर अभी तक गृहकर का निर्धारण नहीं किया गया था, जिसके परिणाम- स्वरूप नगर पंचायत को गृहकर के रूप में वितीय हानि हो रही है। उक्त अवधि के दौरान पास किए गए नक्शों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

| वर्ष | जितने नए नक़्शे पास किए गए |
|---|---|
| 2012-13 | 22 नक़्शे |
| 2013-14 | 34 नक़्शे |
| 2014-15 | 57 नक़्शे |
| 2015-16 | 48 नक़्शे |
| 2016-17 | 31 नक़्शे |

अत: नव-निर्मित मकानों की निर्धारित वार्षिक मूल्य पर प्रचलित दर से गृहकर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर पंचायत के अपने स्त्रोतों से आय में बढौतरी हो सके ।

## 9 दुकानों के किराये की ₹7.34 लाख वसूली हेतु शेष

नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर चढ़ाया गया है तथा इनका किराया पंचायत की आय का मुख्य स्त्रौत है। नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है, के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक किराये के रूप में ₹733530 वसूली हेतु लम्बित थी। जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू०एल०बी० एच०ए०(7) -1/87-9237/9284 दिनांक 20.06.01 के द्वारा करों इत्यादि की शर्त प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जो कि एक चिन्ताजनक

विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ।

## 10 दुकानों के किराए में बढ़ोतरी न करना तथा अनुबन्धो का नवीनीकरण न करना

नगर पंचायत चुवाड़ी के दुकान किराये से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर व लीज/ पट्टा अनुबन्ध की जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि कुछ दुकानों को 20 व 25 वर्ष की लीज /पट्टे पर दिया गया है और कुछ दुकाने पुराने दुकानदारों को अनुबन्ध के आधार पर 11 महीने के लिए किराये पर दी गई थीं व अनुबन्ध की शर्त स.-2 व 4 के अनुसार प्रत्येक 11 महीने उपरांत किराये में 2.5 % की बढौतरी व अनुबंध का नवीनीकरण करवाया जाना अपेक्षित था जोकि अनुबन्धों में निम्न प्रकार से वर्णित था :-

"That after eleven months from the date of agreement the lease rent shall be enhance by 2.5% of the amount being charge at the time of the signing of agreement ."

"That the lease shall be expired on the completion of 11 months and may be extended for that in accordance with these rules extended further subject to the fresh time limit."

जाँच के दौरान पाया गया कि पुराने दुकानदारों द्वारा न तो नियमानुसार 11 महीने उपरांत किराये में बढौतरी की जा रही है और न ही इन दुकानदारों से अनुबंधों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1996 से 03/2005 के पैरा संख्या -28(iii) में किराये पर दी गई दुकानों के अनुबंधों के नवीकरण बारे आपत्ति लगाई गई थी, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही अम्ल में नहीं लाई गई। यह एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है। वर्तमान में यह सभी अनुबन्ध क़ानूनी रूप से समाप्त हो चुके हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट "च-1"** में दिया गया है। अत: नगर पंचायत प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि यथाशीघ्र पुराने दुकानदारों से पुन: नए अनुबन्ध किए जाए ताकि भविष्य में होने वाले किसी **कानूनी** विवाद से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त शेष दुकानों को 20 व 25 वर्ष के लीज/पट्टे पर दिया गया है, जिसका विवरण **परिशिष्ट " च-2"** में दिया गया है।

अत: यह मामला निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला के ध्यानार्थ विशेष रूप से इस आशय के साथ लाया जाता है कि नगर पंचायत-चुवाड़ी को उपरोक्त कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए जाए और जिम्मेवारी निर्धारित की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की चूक को न दोहराया जा सके।

## 11 दुकानों के किराये से प्राप्त आय पर ₹1.07 लाख के सेवाकर की प्राप्ति न करना

केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- 29/2012 दिनांक 20.06.12 व सेवाकर अधिनियम के अनुसार नगर पंचायत द्वारा किराये से प्राप्त आय पर दिनांक 01.07.12 से सेवाकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, लेकिन नगर पंचायत वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान किराये से प्राप्त आय पर निम्न विवरणानुसार देय सेवाकर ₹106903 का केन्द्रीय आबाकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान नहीं किया गया था I

| माह/वर्ष | किराये से प्राप्त राशि | सेवाकर दर % | सेवाकर की भुगतान योग्य राशि |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07/2012 | 8568 | 12.36 | 1059 |
| 08/2012 | 16547 | 12.36 | 2045 |
| 09/2012 | 5392 | 12.36 | 666 |
| 10/2012 | 25388 | 12.36 | 3138 |
| 11/2012 | 14458 | 12.36 | 1787 |
| 12/2012 | 5458 | 12.36 | 675 |
| 01/2013 | 11672 | 12.36 | 1443 |
| 02/2013 | 15906 | 12.36 | 1966 |
| 03/2013 | 31843 | 12.36 | 3936 |
| 04/2013 | 72855 | 12.36 | 9005 |
| 05/2013 | 23894 | 12.36 | 2953 |
| 06/2013 | 7860 | 12.36 | 971 |
| 07/2013 | 7440 | 12.36 | 920 |
| 08/2013 | 15536 | 12.36 | 1920 |
| 09/2013 | 8170 | 12.36 | 1010 |
| 10/2013 | 9610 | 12.36 | 1188 |
| 11/2013 | 7090 | 12.36 | 876 |
| 12/2013 | 18850 | 12.36 | 2330 |
| 01/2014 | 38700 | 12.36 | 4783 |
| 02/2014 | 21440 | 12.36 | 2650 |
| 03/2014 | 34241 | 12.36 | 4232 |
| 04/2014 | 16470 | 12.36 | 2036 |
| 05/2014 | 10015 | 12.36 | 1238 |
| 06/2014 | 11665 | 12.36 | 1442 |
| 07/2014 | 8455 | 12.36 | 1045 |
| 08/2014 | 740 | 12.36 | 916 |
| 09/2014 | 9535 | 12.36 | 1179 |
| 10/2014 | 11460 | 12.36 | 1416 |
| 11/2014 | 12335 | 12.36 | 1525 |
| 12/2014 | 11400 | 12.36 | 1409 |
| 01/2015 | 7280 | 12.36 | 900 |
| 02/2015 | 9350 | 12.36 | 1156 |
| 03/2015 | 14910 | 12.36 | 1843 |
| 04/2015 | 34800 | 12.36 | 4301 |
| 05/2015 | 6425 | 12.36 | 794 |
| 06/2015 | 9055 | 14.00 | 1268 |
| 07/2015 | 8161 | 14.00 | 1143 |
| 08/2015 | 9820 | 14.00 | 1375 |
| 09/2015 | 27825 | 14.00 | 3896 |
| 10/2015 | 9010 | 14.00 | 1261 |
| 11/2015 | 9430 | 14.50 | 1367 |
| 12/2015 | 11620 | 14.50 | 1685 |
| 01/2016 | 14420 | 14.50 | 2091 |
| 02/2016 | 20145 | 14.50 | 2921 |
| 03/2016 | 9245 | 14.50 | 1341 |
| 04/2016 | 16835 | 14.50 | 2441 |
| 05/2016 | 5930 | 14.50 | 860 |
| 06/2016 | 10350 | 15.00 | 1553 |
| 07/2016 | 6850 | 15.00 | 1028 |
| 08/2016 | 8350 | 15.00 | 1253 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09/2016 | 10605 | 15.00 | 1591 |
| 10/2016 | 6955 | 15.00 | 1043 |
| 11/2016 | 7175 | 15.00 | 1076 |
| 12/2016 | 9335 | 15.00 | 1400 |
| 01/2017 | 11455 | 15.00 | 1718 |
| 02/2017 | 7220 | 15.00 | 1083 |
| 03/2017 | 18370 | 15.00 | 2756 |
| **कुल राशि** | **820589** | | **106903** |

अत: सेवाकर अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को सेवाकर का भुगतान न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सेवाकर की उपरोक्त भुगतान योग्य राशि को केन्द्रीय आबाकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए I इसके अतिरिक्त सेवाकर की देय राशि का सम्बधित संस्था/विभाग को समय पर भुगतान न करने पर सरकारी प्राप्तियों का दुरूपयोग किया गया है I

अत: उपरोक्त देय सेवाकर की राशि का सम्बन्धित विभाग को भुगतान करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी समय पर नियमानुसार देय सेवाकर का समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

**12 दिनांक 31.03.17 को विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस के रूप में ₹0.30 लाख वसूली हेतु शेष**

मोबाइल टावरों के रजिस्टर की जांच में पाया कि दिनांक 31.03.17 को विभिन्न मोबाईल टावरों कि नवीनीकरण फ़ीस के रूप में ₹30313 वसूली हेतु शेष थे, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

| | |
|---|---|
| बी.एस.एन.एल.टॉवर. | 30313 |
| एयरटेल टॉवर | शून्य |
| वोडाफोन टावर | शून्य |
| कुल | ₹30313 |

उपरोक्त वर्णित राशि का विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट " छ"** में दिया गया है। अत: उक्त बकाया ₹30313 को वसूल करने हेतु उचित कार्यवाही करके राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये ।

**13 तहबाजारी के रूप में वसूल की गई ₹0.18 लाख को जमा न करवाना**

जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 तक तहबाजारी के रूप में ₹20 प्रति कूपन प्रतिदिन की दर से विभिन्न कूपनों के अंतर्गत ₹18260/- वसूल की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है, लेकिन इस राशि को जमा करवाने सम्बन्धित कोई भी G-8 या रसीद अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई, :-

| अवधि | कूपन स. /बुक स. | दर प्रति दिन | राशि जो वसूल की गई | राशि जो जमा की गई | G-8 स./दिनांक | जितनी राशि कम जमा की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.12 से 27.07.12 | 4 से 24/5 | 20/- | 420 | - | | 420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.12 से 05.11.12 | 49 से 67/5 | 20/- | 1260 | - | | 1260 |
| 11.12.12 से 21.01.13 | 143 से 148/5 | 20/- | 1380 | - | | 1380 |
| 24.01.14 से 15.02.14 | 127 से 200/10 | 20/- | 1480 | - | | 1480 |
| 26.02.14 से 22.03.14 | 30 से 95/11 | 20/- | 1800 | - | | 1800 |
| 17.04.14 से 03.05.14 | 151 से 200/11 | 20/- | 980 | - | | 980 |
| 26.05.14 से 23.06.14 | 60 से 200/12 | 20/- | 3060 | - | | 3060 |
| 26.08.14 से 28.08.14 | 1 से 21/15 | 20/- | 420 | - | | 420 |
| 24.02.15 | 42 से 45 | 20/- | 1040 | - | | 1040 |
| 16.11.15 से 02.06.16 | 155 से 182 | 20/- | 8130 | 6530 | 35/252 Dt.21.04.16 | 1600 |
| 25.10.16 से 20.03.17 | 35 से 72 | 20/- | 6730 | 1910 | 14/25,15/12 ,15/21 Dt.28.10.16 ,1.11.16,3.1 1.11 | 4820 |
| | **कुल योग** | | | | | **₹18260** |

ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वसूल की गई राशि को जमा नहीं करवाया गया है तथा सम्भावित दुर्वियोजन को नकारा नहीं जा सकता है। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या –FIN(LA) C/K&C/2017-104 दिनांक 30.10.2017 के अंतर्गत उक्त राशि को जमा करवाने अथवा स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया लेकिन कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया I यह एक अत्यंत गंभीर चूक है। अत: नगर पंचायत कार्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर छानबीन उपरांत इस राशि को जमा करवाने सम्बन्धित विवरण /स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹18260 की वसूली चूककर्ता से करके वापिस सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया

## 14 टेन्डर फ़ीस की कम वसूली करना

रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या-658 दिनांक 12.11.14 के अंतर्गत टेन्डर फ़ीस की निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई थीं :-

| **अनुमानित राशि** | **टेन्डर फ़ीस** |
|---|---|
| 50000 से नीचे | 200/- |
| 50000 से 100000 तक | 500/- |
| 100000 से 200000 तक | 1000/- |
| 200000 से 500000 तक | 1000/- |

जाँच में पाया गया कि दिनांक 23.04.15 को ₹4000 टेन्डर फ़ीस के रूप में कम वसूल की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Name of work : C/o Nallah near Karam Chand House and Gaushala tower of hill side in W.No.-2 Bhalara Chowari.
Estimated cost : ₹129394/-
Job no. : 07
Dated : 23.04.15

| **क्र.स.** | **ठेकेदार का नाम** | **G-8 स.** | **दिनांक** | **राशि जो** | **राशि जो** | **जितनी राशि टेंडर** |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | वसूल की जानी चाहिए | वसूल की गई थी | फ़ीस के रूप में कम वसूल की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री नरिन्द्र सिंह | 2/231 | 23.04.15 | 1000 | 500 | 500 |
| 2 | श्री राजेश कुमार | 5/231 | 23.04.15 | 1000 | 500 | 500 |
| 3 | श्री अतुल शांडिल्य | 7/231 | 23.04.15 | 1000 | 500 | 500 |
| 4 | श्री अरुण गुप्ता | 9/231 | 23.04.15 | 1000 | 500 | 500 |
| 5 | श्री सुरेन्द्र कुमार | 12/231 | 23.04.15 | 1000 | 500 | 500 |
| 6 | श्री मनीश मल्होत्रा | 15/231 | 23.04.15 | 1000 | 500 | 500 |
| 7 | श्री प्रवीन कुमार | 17/231 | 23.04.15 | 1000 | 500 | 500 |
| 8 | श्री राम सिंह | 18/231 | 23.04.15 | 1000 | 500 | 500 |
| | | | | | **कुल राशि** | **4000** |

अत: टेन्डर फ़ीस के रूप में ₹4000/- कम वसूल करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब इस राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके निधि खाते में जमा करवाई जाएI

## 15 निविदा के आधार पर ₹4 लाख से अधिक का कार्य करवाने बारे

( वाउचर स.16, दिनांक 22.03.17, ₹100000/-)

₹100000/- का भुगतान श्री वरुण गुप्ता, सरकारी ठेकेदार चुवाड़ी को चैक स.-991185 दिनांक 22.03.17 द्वारा उनके वाउचर स.-16 दिनांक 22.03.17 के अंतर्गत Electric Binding & Wiring इत्यादि की आपूर्ति हेतु किया गया।

उपरोक्त बिल/वाउचर की जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 20.12.13 को विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से निम्नलिखित कार्य के लिए निविदाएँ इत्यादि आमंत्रित की गई थीं:-

“ Binding & Wiring from electricity pole to pole at different site of ward no. 1 to ward no. 7 along with material 10 mm wire (ISI), G.I. Wire, clips, tape roll along with labour and including all expenditure for 100 nos. quantity per Rmt.”

जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि 3 न. फर्मों द्वारा निविदाएँ इत्यादि डाली/प्रस्तुत की गईं थीं और न्यूनतम दर निविदा के आधार पर मै. श्री वरुण गुप्ता, सरकारी ठेकेदार, Near हॉस्पिटल, Ward no.7, चुवाड़ी को नेगोसिएसन (Negotiation) के बाद ₹90/- प्रति Rmt.की दर से कार्य आबंटित किया गया | (श्री वरुण गुप्ता, ठेकेदार द्वारा ₹108/- प्रति Rmt. की दर निविदा में डाली थी, नगर पंचायत चुवाड़ी के पत्र संख्या-NPC/CHW/2013-2987 दिनांक 31.12.2013 द्वारा सविंदाकर श्री वरुण गुप्ता को कार्य शुरू करने का आदेश जारी किये गएI उपरोक्त बिल/वाउचर की जाँच-पड़ताल में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:-

**(क)** संविदाकार श्री वरुण गुप्ता द्वारा किए गये कार्य की पैमाईस माप पुस्तिका -15 के पृष्ठ 45 से 48 तक दर्ज की गई थी | माप पुस्तिका की जाँच में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता श्री वरुण गुप्ता द्वारा वार्ड न. 1 से 7 में कुल 4472 running meter wire का कार्य किया जिसका कुल भुगतान ₹90/- Rmt की दर से ₹402480/- बनाया गया है, उपरोक्त भुगतान से नगर पंचायत द्वारा 10% प्रतिभूति राशि व 5.3 % अन्य करों की कटौती के उपरांत भुगतान योग्य ₹341988/- आंकी गई जिसमें से ₹241988/- का भुगतान चैक स.334474 दिनांक 08.11.16 को किया गया व शेष ₹100000/- का भुगतान वर्तमान बिल में किया गया। इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका -15 के

पृष्ठ स.45 की जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि किए गए कार्य की पैमाईस को दिनांक 26.04.16 को माप पुस्तिका में दर्ज किया गया था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा 4472 running meter का कार्य माह जून 2014 में पूर्ण कर लिया गया था जबकि विभाग द्वारा किए गए कार्य का इन्द्राज माप पुस्तिका में दिनांक 26.04.16 को किया गया था जबकि नियमानुसार प्रत्येक किये गये कार्य की प्रविष्टि दिनांक अनुसार ही की जानी चाहिए थी। इस प्रकार लगभग 2 वर्ष उपरान्त माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टि संशय पैदा करती है जिसकी पूण जाँच की जानी अपेक्षित है।

**(ख)** नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा जब निविदाएं इत्यादि आमंत्रित की गईं थी तो सिर्फ 100 running meter कार्य के लिए ही की गईं थीं जबकि वास्तव में कार्य 4472 running meter का करवाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि 4472 अधिक कार्य करवाने का उद्देश्य केवल ठेकेदार को अनुचित लाभ ही प्रदान करना था। अत: स्पष्ट किया जाए कि यह चूक किस स्तर पर हुई और अगर कार्य इतना अधिक मात्रा का किया जाना प्रस्तावित था तो टेन्डर क्यों Call नहीं किए गए I अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए I जो कार्य किया जाना प्रस्तावित था उसका पहले Estimate क्यों तैयार नहीं किया गया और सदन में इसकी approval क्यों नहीं ली गई। इसकी जाँच की जाये तथा वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

**(ग)** जाँच-पड़ताल पर यह भी पाया गया कि नगर पंचायत- चुवाड़ी द्वारा शहर में स्ट्रीट लाईट के कार्य के लिए supply of steel tubular pole 410 SP -1, 7.0 meter long as per IS 2713 Part-II-1980 के लिए टेन्डर आमंत्रित करके 50 न. पोल की आपूर्ति का कार्य श्री अजय कुमार, सरकारी ठेकेदार , VPO- नैनिखड, जिला चम्बा को दिनांक 03.10.2013 को आबंटित किया गया और संविदाकार द्वारा और 50 न.pole की आपूर्ति दिनांक 10.10.13 को कर दी गई और ₹5800/- प्रति pole की दर से संविदाकार को ₹290000 का भुगतान किया गया I अत: यह स्पष्ट किया जाए कि इस कार्य के साथ ही pole to pole wiring का टेन्डर भी क्यों नहीं किया गया।

**(घ)** नगर पंचायत द्वारा दिनांक 03.10.13 को steel tubular pole की आपूर्ति हेतु टेन्डर किया और electricity pole to pole wiring की आपूर्ति की निविदाएँ दिनांक 20.12.13 को आमंत्रित की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत द्वारा पूरे शहर में स्ट्रीट लाईट का कार्य पूर्ण करवाना ही था I अत: यह स्पष्ट किया जाए कि electricity pole to pole wiring की निविदाएँ मात्र 100 running meter के लिए ही क्यों आमंत्रित की गईं तथा कार्य 4472 running meter का करवा लिया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ता श्री वरुण गुप्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है क्योंकि इतने बड़े कार्य को करवाने के लिए टेन्डर आमंत्रित किये जाने अपेक्षित थेI इस प्रकार केवल ₹9000/- कार्य की निविदाएँ आमंत्रित करके ₹402480/- का कार्य करवा लिया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है जिसकी पूर्ण जाँच-पड़ताल की जाए और चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों की जबाबदेही निर्धारित की जाए क्योंकि अगर ₹400000 कार्य का टेन्डर आमंत्रित किया गया होता तो pole to pole wiring की दर निश्चित रूप से कम आती और नगर पंचायत को भारी बचत होती।

अत: यह प्रकरण शहरी विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से पुर जांच हेतु लाया जाता है ताकि मामले की पूर्ण जाँच-पड़ताल की जाए तदानुसार वस्तुस्थिति से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

**16 स्थापना**

**(क) बजट प्रावधान राशि व स्थापना पर किया गया व्यय**

नगर पंचायत चुवाड़ी कि बजट प्रावधान एवं स्थापना व्यय की जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि नगर पालिका अधिनियम 1994 के अनुच्छेद 53 (i) (c) के अनुसार स्थापना पर व्यय, कुल व्यय का 1/3 भाग से कम राशि व्यय करने के प्रावधान का अनुपालन किया जा रहा है I अत: यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी स्थापना व्यय को कुल व्यय के 1/3 भाग से कम रखने का प्रयास किया जाए। नगर पंचायत चुवाड़ी के गत पांच वर्षों के बजट प्रावधान एवं स्थापना पर किए गए व्यय का विवरण **परिशिष्ट ज** के अनुसार निम्न प्रकार से है :-

| Year | Total Budget | Actual expenditure against budget | Expenditure on Establishment |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 24704739 | 8742262 | 1087856 |
| 2013-2014 | 20622962 | 9359134 | 1042806 |
| 2014-2015 | 23202389 | 7006524 | 1397674 |
| 2015-2016 | 25041694 | 11643928 | 2463011 |
| 2016-2017 | 25607287 | 10535236 | 2292076 |

**(ख) श्री अनिल गौतम, कनिष्ठ अभियंता को गलत वेतनमान निर्धारण के परिणामस्वरूप वेतन के रूप में ₹1.00 लाख का किया गया अधिक भुगतान**

नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा श्री अनिल गौतम, कनिष्ठ अभियंता को हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या – FIN (PR)-B(7)-59/2010 दिनांक 27.09.12 के अंतर्गत ACPS 4:9:14 में चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर एक वेतन वृद्धि और ₹4200 ग्रेड पे देकर दिनांक 01.07.2011 से वेतन का निर्धारण किया गया था जोकि गलत पाया गया क्योंकि यह ACPS 4:9:14 का उच्च वेतनमान कनिष्ठ अभियंता वर्ग को देय नहीं था। कनिष्ठ अभियंता वर्ग के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या-FIN(PR)-B(7)-59/2010 दिनांक 27.09.2012 में दिए गए निर्देशों अनुसार वेतन निर्धारण किया जाना अपेक्षित था। अत: नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा जो वेतन निर्धारण किया गया और नियमानुसार जो वेतनमान निर्धारित किया जाना चाहिए था, उसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

**Shri Anil Gautam (Junior Engineer) appointed on dated 18.07.2007, pay should be fixed as under:-**

| Date | Pay fixed by N.P.Cowari | Pay to be fixed as per rule | Remarks |
|---|---|---|---|
| 18.07.2007 | 10790+3800=14590 | 10790+3800=14590 | Initial start for the post of J.E. |
| 01.07.2008 | 11230+3800=15030 | 11230+3800=15030 | |
| 01.07.2009 | 11680+3800=15480 | 11680+3800=15480 | |
| 01.07.2010 | 12150+3800=15950 | 12150+3800=15950 | |
| 01.07.2011 | 12630+3800=16430 | 12630+3800=16430 | |
| 01.07.2011 | 13130+4200=17330 | No Change | ACPS 4 years |
| 01.07.2012 | 13650+4200=17850 | 13130+3800=16930 | |
| 01.10.2012 | 13650+4800=18450 | 13130+4800=17930 | New Grade Pay |
| 01.07.2013 | 14210+4800=19010 | 13670+4800=18470 | |
| 01.07.2014 | 14780+4800=19580 | 14230+4800=19030 | |
| 01.07.2015 | 15370+4800=20170 | 14800+4800=19600 | |
| 01.07.2016 | 15980+4800=20780 | 15390+4800=20190 | |
| 01.07.2016 | 16610+5000=21610 | No Change | ACPS 9 years |
| 01.07.2017 | 17260+5000=22260 | 16000+4800=20800 | |
| 18.07.2017 | 17260+5400=22660 | 16000+5400=21400 | Higher Grade pay after completion of 10 years service in the Pay Band Rs.15600-39100+GP Rs.5400/- |

अत: गलत वेतनमान निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹100324 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है:-

| Period | Due | | | | Drawn | | | | Difference (in Rs.) | No. of months | Total excess paid Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Basic pay + G.P. | D.A. | I.R. | Total | Basic pay + G.P. | D.A. | I.R. | Total | | | |
| 01.08.12 to 30.09.12 | 16930 | 12190 | | 29120 | 17850 | 12852 | | 30702 | 1582 | 2 | 3164 |
| 01.10.12 to 31.12.12 | 17930 | 12910 | | 30840 | 18450 | 13284 | | 31734 | 894 | 3 | 2682 |
| 01.01.13 to 30.06.13 | 17930 | 14344 | | 32274 | 18450 | 14760 | | 33210 | 936 | 6 | 5616 |
| 01.07.13 to 31.12.13 | 18470 | 16623 | | 35093 | 19010 | 17109 | | 36119 | 1026 | 6 | 6156 |
| 01.01.14 to 30.06.14 | 18470 | 18470 | | 36940 | 19010 | 19010 | | 38020 | 1080 | 6 | 6480 |
| 01.07.14 to 31.12.14 | 19030 | 20362 | | 39390 | 19580 | 20951 | | 40531 | 1141 | 6 | 6846 |
| 01.01.15 to | 19030 | 21504 | | 40534 | 19580 | 22125 | | 41705 | 1171 | 6 | 7026 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.15 | | | | | | | | | | | |
| 01.07.15 to 31.12.15 | 19600 | 23324 | | 42924 | 20170 | 24002 | | 44172 | 1248 | 6 | 7488 |
| 01.01.16 to 30.06.16 | 19600 | 24500 | | 44100 | 20170 | 25213 | | 45383 | 1283 | 6 | 7698 |
| 01.07.16 to 31.07.16 | 20190 | 26247 | | 46437 | 21610 | 28093 | | 47903 | 3266 | 1 | 3266 |
| 01.08.16 to31.12.16 | 20190 | 26247 | 1010 | 47447 | 21610 | 28093 | 1081 | 50784 | 3337 | 5 | 16685 |
| 01.01.17 to 30.06.17 | 20190 | 27055 | 1010 | 48255 | 21610 | 28957 | 1081 | 51648 | 3393 | 6 | 20358 |
| 01.07.17 to 17.07.17 | 20800 | 27872 | 1040 | 27261 | 22660 | 30364 | 1133 | 54157 | 3798 | 1 | 3798 |
| 18.07.17 to 31.07.17 | 21400 | 28676 | 1070 | 22172 | | | | | | | |
| 01.08.17 to 31.08.17 | 21400 | 28676 | 1926 | 52002 | 22660 | 30364 | 2039 | 55063 | 3061 | 1 | 3061 |
| कुल योग | | | | | | | | | | | 100324 |

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या – FIN(LA) C/K&C/2017-83 दिनांक 14.09.17 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिस पर नगर पंचायत द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह सितम्बर, 2017 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के सुझावानुसार किया गया है I अत: श्री अनिल गौतम, कनिष्ठ अभियंता को वेतन के रूप में उक्त अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹100324 की वसूली चूककर्ता से करके वापिस सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए I

**(ग) श्री हर्ष गुप्ता, कनिष्ठ सहायक को ACPS (4:9:14) के उच्च वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹1.12 लाख का किया गया अधिक अनुचित/भुगतान**

जाँच के दौरान पाया गया कि श्री हर्ष गुप्ता, कनिष्ठ सहायक (पूर्व में लिपिक) को ACPS-4:9:14 के उच्च वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण करने के फलस्वरूप ₹111995 का अधिक भुगतान किया गया I नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा श्री हर्ष गुप्ता को कनिष्ठ सहायक के पद पर 8 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 07.09.2009 को पूरा करने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया है जोकि गलत पाया गया क्योंकि यह लाभ अधिसूचना संख्या-FIN(PR) B(7)-51/98 दिनांक 15.12.1998 के अंतर्गत प्रदान किया गया था जोकि दिनांक 26.08.2009 तक ही लागू थी I इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या –FIN(PR)B(7)-59/2010 दिनांक 09.08.2012 द्वारा दिनांक 27.08.2009 से New ACPS के अंतर्गत 4:9:14 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया गया है I अत: नगर पंचायत द्वारा श्री हर्ष गुप्ता, कनिष्ठ सहायक को दिनांक 07.09.2009 को old ACPS 8:16:24:32 के अंतर्गत प्रदान की गई

वेतन वृद्धि गलत है। श्री हर्ष गुप्ता द्वारा New ACPS 4:9:14 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु दिनांक 04 .10.2012 को अपना विकल्प नगर पंचायत चुवाड़ी को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा दिनांक 08.09.2016 को कनिष्ठ सहायक के पद पर 14 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ भी प्रदान किया गया है जोकि गलत पाया गया। अत: श्री हर्ष गुप्ता , कनिष्ठ सहायक का वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था :-

**Shri Harsh Gupta (Junior Junior Assistant) appointed on regular basis on dated 07.09.2001 in the pay scale of 3120-6200 initial** start **₹3220 p.m pay fixed as under:-**

| **Date** | **Pay fixed by N.P.Cowari** | **Pay to be fixed as per rule** | **Remarks** |
|---|---|---|---|
| 07.09.2001 | 3200 | 3220 | |
| 01.09.2002 | 3330 | 3330 | |
| 01.09.2003 | 3440 | 3440 | |
| 01.09.2004 | 3550 | 3550 | |
| 01.09.2005 | 3660 | 3660 | |
| 01.01.2006 | 6810+1900=8710 | 6810+1900=8710 | Granted revised pay scale w.e.f.01.01.06 i.e.rs.5910-20200+GP-1900/- PM. |
| 01.09.2006 | 7080+1900=8980 | 7080+1900=8980 | |
| 08.09.2006 | 8370+2800=11170 | 8370+2800=11170 | Placement on dt.08.09.06 on the post of Junior Assistant in the pay scale of Rs.5910-20200+Gp Rs.2800/- pm initial start Rs.8370+2800=11170/- |
| 01.09.2007 | 8710+2800=11510 | 8710+2800=11510 | |
| 01.09.2008 | 9060+2800=11860 | 9060+2800=11860 | |
| 01.09.2009 | 9420+2800=12220 | 9420+2800=12220 | |
| 07.09.2009 | 9790+3000=12790 | No Change | Benefit of ACPS after completion of 8 years service granted. |
| 01.09.2010 | 10180+3000=13180 | 9790+2800=12590 | |
| 08.09.2010 | -- | 10170+3000=13170 (Notional fixation only) Actual pay ₹12590 | Benefit of ACPS on completion of 4 years service as junior Assistant as on 08.09.10 on notional basis only (on actual basis w.e.f. 09.08.12) |
| 01.09.2011 | 10580+3000=13580 | 10570+3000=13570(Notional Pay) Actual pay ₹12970 | |
| 08.09.2011 | 10990+3200=14190 | No Change | Granted benefit under 4:9:14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ACPS. |
| 09.08.2012 | 10990+3200=14190 | 10570+3000=13570 | Actual benefit granted w.e.f. 09.08.12 |
| 01.09.2012 | 11420+3200=14620 | 10980+3000=13980 | Annual increment. |
| 01.10.2012 | 11420+3600=15020 | 10980+3600=14580 | Higher grade pay ₹3600/- w.e.f. 01.10.12 |
| 01.09.2013 | 11870+3600=15470 | 11420+3600=15020 | |
| 01.09.2014 | 12340+3600=15940 | 11870+3600=15470 | |
| 01.09.2015 | 12820+3600=16420 | 12340+3600=15940 | |
| 01.09.2016 | 13320+3600=16920 | 12820+3600=16420 | |
| 08.09.2016 | 13840+3800=17640 | No change | Granted ACPS on completion of 14 years service. |

अत: गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹111995 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है।

| Period | Due | | | | Drawn | | | | Difference (in Rs.) | No. of months | Total excess paid Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Basic pay + G.P. | D.A. | I.R. | Total | Basic pay + G.P. | D.A. | I.R. | Total | | | |
| 01.09.09 से 31.12.09 | 9420 | 2800 | | 15519 | 12790 | 3453 | | 16243 | 724 | 4 | 2896 |
| 01.01.10 से 30.06.10 | 12220 | 4277 | | 16497 | 12790 | 4477 | | 17267 | 770 | 6 | 4620 |
| 01.07.10 से 31.08.10 | 12220 | 5499 | | 17719 | 12790 | 5756 | | 18546 | 827 | 2 | 1654 |
| 01.09.10 से 31.12.10 | 12590 | 5666 | | 18256 | 13180 | 5931 | | 19111 | 855 | 4 | 3420 |
| 01.01.11 से 30.06.11 | 12590 | 6421 | | 19011 | 13180 | 6722 | | 19902 | 891 | 6 | 5346 |
| 01.07.11 से 31.08.11 | 12590 | 7302 | | 19892 | 13180 | 7644 | | 20824 | 932 | 2 | 1864 |
| 01.09.11 से 31.12.11 | 12970 | 7523 | | 20493 | 13580 | 7876 | | 21456 | 963 | 4 | 3852 |
| 01.01.12 से 30.06.12 | 12970 | 8431 | | 21401 | 13580 | 8827 | | 22407 | 1006 | 6 | 6036 |
| 01.07.12 से 08.08.12 | 12970 | 9338 | | 22308 | 13580 | 9778 | | 23358 | 1050 | 8 days | 321 |
| 09.08.12 से 31.08.12 | 13570 | 9770 | | 23340 | 14190 | 10217 | | 24407 | 1066 | 23 days | 791 |
| 01.09.12 से 30.09.12 | 13980 | 10066 | | 24046 | 14620 | 10526 | | 25146 | 1100 | 1 | 1100 |
| 01.10.12 से 31.12.12 | 14580 | 10498 | | 25078 | 15020 | 10814 | | 25834 | 756 | 3 | 2268 |
| 01.01.13 से 30.06.13 | 14580 | 11664 | | 26244 | 15020 | 12016 | | 27036 | 792 | 6 | 4752 |
| 01.07.13 से 31.08.13 | 14580 | 11664 | | 26244 | 15020 | 13518 | | 28538 | 836 | 2 | 1672 |
| 01.09.13 से 31.12.13 | 15020 | 13518 | | 28538 | 15470 | 13923 | | 29393 | 855 | 4 | 3420 |
| 01.01.14 से 30.06.14 | 15020 | 15020 | | 30040 | 15470 | 15470 | | 30940 | 900 | 6 | 5400 |
| 01.07.14 से 31.08.14 | 15020 | 16071 | | 31091 | 15470 | 16553 | | 32023 | 932 | 2 | 1864 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.14 से 31.12.14 | 15470 | 16553 | | 32023 | 15940 | 17056 | | 32996 | 973 | 4 | 3892 |
| 01.01.15 से 30.06.15 | 15470 | 17481 | | 32951 | 15940 | 18012 | | 33952 | 1001 | 6 | 6006 |
| 01.07.15 से 31.08.15 | 15470 | 18409 | | 33879 | 15940 | 18969 | | 34909 | 1030 | 2 | 2060 |
| 01.09.15 से 31.12.15 | 15940 | 18969 | | 34909 | 16420 | 19540 | | 35960 | 1051 | 4 | 4204 |
| 01.01.16 से 30.06.16 | 15940 | 19925 | | 35865 | 16420 | 20525 | | 36945 | 1080 | 6 | 6480 |
| 01.07.16 से 31.07.16 | 15940 | 20722 | | 36662 | 16420 | 21346 | | 37766 | 1104 | 1 | 1104 |
| 01.08.16 से 31.08.16 | 15940 | 20722 | 797 | 37459 | 16420 | 21346 | 821 | 38587 | 1128 | 1 | 1128 |
| 01.09.16 से 31.12.16 | 16420 | 21346 | 821 | 38587 | 17640 | 22932 | 882 | 41454 | 2867 | 4 | 11468 |
| 01.01.17 से 31.07.17 | 16420 | 22003 | 821 | 39244 | 17640 | 23638 | 882 | 42160 | 2916 | 7 | 20412 |
| 01.08.17 से 31.08.17 | 16420 | 22003 | 1478 | 39901 | 17640 | 23638 | 1588 | 42866 | 2965 | 1 | 2965 |
| कुल योग | | | | | | | | | | | **111995** |

उक्त प्रकरण में यधपि नगर पंचायत द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह सितम्बर, 2017 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के परामर्शनुसार किया गया है, फिर भी श्री हर्ष गुप्ता, कनिष्ठ सहायक को ACPS (4:9:14) की गलत वेतन गणना के रूप में उक्त अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹111995 की वसूली चूककर्ता से करके वापिस सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए I

**(घ) श्रीमति बबिता रानी, सामुदाय आयोजक (Community Organiser) को गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप वेतन के रूप में ₹9283/- का किया गया अधिक भुगतान**

जाँच के दौरान पाया गया कि श्रीमति बबिता रानी, बेलदार को हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या –FIN(PR)B(7)-59/2010 दिनांक 09.08.2012 द्वारा दिनांक 27.08.2009 से New ACPS के अंतर्गत 4:9:14 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर लाभ प्रदान किया गया परन्तु वेतन निर्धारण के समय गलत वेतन गणना करने के परिणामस्वरूप ₹20/- प्रति माह का अधिक वेतन निर्धारित किया गया था जिसका वास्तविक भुगतान दिनांक 01.08.2012 से किया गया है I इसके अतिरिक्त श्रीमति बबिता रानी को नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा दिनांक 01.08.15 में बेलदार से समुदाय आयोजक ( Community Organiser) के पद पर पदोन्नत किया गया था और पदोन्ती पर वेतन का निर्धारण भी दिनांक 01.08.15 से करके भुगतान किया गया I अत: श्रीमति बबिता रानी, समुदाय आयोजक को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 01.08.16 से देय थी जबकि नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा यह वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.04.16 से प्रदान की गई है

जोकि गलत पाई गई जिसके परिणामस्वरूप वेतन के रूप में ₹9283/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

| Period | Due | | | | Drawn | | | | Difference (in Rs.) | No. of months | Total excess paid Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Basic pay + G.P. | D.A. | I.R. | Total | Basic pay + G.P. | D.A. | I.R. | Total | | | |
| 01.08.12 से 31.12.12 | 9930 | 7150 | | 17080 | 9950 | 7164 | | 17114 | 34 | 5 | 170 |
| 01.01.13 से 31.03.13 | 9930 | 7944 | | 17874 | 9950 | 7960 | | 17910 | 36 | 3 | 108 |
| 01.04.13 से 30.06.13 | 10790 | 8632 | | 19422 | 10810 | 8648 | | 19458 | 36 | 3 | 108 |
| 01.07.13 से 31.12.13 | 10790 | 9711 | | 20501 | 10810 | 9729 | | 20539 | 38 | 6 | 228 |
| 01.01.14 से 31.03.14 | 10790 | 10790 | | 21580 | 10810 | 10810 | | 21620 | 40 | 3 | 12 |
| 01.04.14 से 30.06.14 | 11120 | 11120 | | 22240 | 11140 | 11140 | | 22280 | 40 | 3 | 120 |
| 01.07.14 से 31.12.14 | 11120 | 11898 | | 23018 | 11140 | 11920 | | 23060 | 42 | 6 | 252 |
| 01.01.15 से 31.03.15 | 11120 | 12566 | | 23686 | 11140 | 12588 | | 23728 | 42 | 3 | 126 |
| 01.04.15 से 30.06.15 | 11460 | 12950 | | 24410 | 11480 | 12972 | | 24452 | 42 | 3 | 126 |
| 01.07.15 से 31.07.15 | 11460 | 13637 | | 25097 | 11480 | 13661 | | 25141 | 44 | 1 | 44 |
| 01.08.15 से 31.12.15 | 11810 | 14054 | | 25864 | 11830 | 14078 | | 25908 | 44 | 5 | 220 |
| 01.01.16 से 31.03.16 | 11810 | 14763 | | 26573 | 11830 | 14788 | | 26618 | 45 | 3 | 135 |
| 01.04.16 से 30.06.16 | 11810 | 14763 | | 26573 | 12190 | 15238 | | 27428 | 855 | 3 | 2565 |
| 01.07.16 से 31.07.16 | 11810 | 15353 | | 27163 | 12190 | 15847 | | 28037 | 874 | 1 | 874 |
| 01.08.16 से 31.12.16 | 12170 | 15821 | 609 | 28600 | 12190 | 15847 | 610 | 28647 | 47 | 5 | 235 |
| 01.01.17 से 31.03.17 | 12170 | 15821 | 609 | 28600 | 12190 | 15847 | 610 | 28647 | 47 | 3 | 141 |
| 01.04.17 से 30.06.17 | 12170 | 15821 | 609 | 28600 | 12560 | 16328 | 628 | 29516 | 916 | 3 | 2748 |
| 01.07.17 से 31.07.17 | 12170 | 15821 | 609 | 28600 | 12560 | 16328 | 628 | 29516 | 916 | 1 | 916 |
| 01.08.17 से 31.08.17 | 12540 | 16302 | 1129 | 29971 | 12560 | 16328 | 1130 | 30018 | 47 | 1 | 47 |
| **कुल योग** | | | | | | | | | | | **9283** |

अत: श्रीमति बबिता रानी, समुदाय आयोजक (Community organiser) को गलत वेतन गणना के परिणामस्वरूप वेतन के रूप में अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹9283/- की वसूली चूककर्ता से करके वापिस सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए I

**(ड.) पैंशन व उपदान खाते में दिनांक 31.03.17 को अन्तशेष ₹5988561**

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.17 को पैंशन व उपदान खाते में ₹5988561 अन्तशेष/जमा थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

| क्रम स. | खाता संख्या | Type of deposit | दिनांक 31.03.17 को अन्तशेष राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | HPSCB-18010117910 | Saving a/c | 6034 |
| 2 | HPSCB-18030410273 | Multi Option Deposit Scheme | 5982527 |
| | | कुल योग | 5988561 |

**17 अन्य विविध अनियमितताएं**

**(क) ₹1000 का अधिक भुगतान**

₹69500/- का भुगतान मै. सुरेन्द्र कुमार, मोहल्ला सपडी,चम्बा को चैक स.-334316 दिनांक 26.12.2015 द्वारा उनके बिल स.-शून्य दिनांक 09.11.15के अंतर्गत CFL Fixture इत्यादि के लिए किया गया। नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा मै. सुरेन्द्र कुमार से 25 न. CFL Fixture 85W with 85W Bulb (Bajaj make) की खरीद न्यूनतम दर निविदा के आधार पर ₹2780/- प्रति CFL की दर से की गई ।

उपरोक्त विल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मै. सुरेन्द्र कुमार द्वारा जो विल नगर पंचायत चुवाड़ी के नाम जारी किया गया है उसमें भुगतान योग्य विल की ₹68500/- दर्शाई गई है जबकि नगर पंचायत द्वारा भुगतान ₹69500/- का किया गया है I अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कि आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किये गए बिल से ₹1000/- का अधिक भुगतान किया गया अन्यथा चूककर्ता से अधिक भुगतान की गई ₹1000/- की वसूली करके नगर पंचायत निधि खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

**(ख) ₹2417/- के अधिक भुगतान बारे**

**वाउचर स.-15, दिनांक 19.12.2015 ₹9843**

₹9843/- का भुगतान मै. दिव्य हिमाचल प्रकाशन प्रा. लिमिटेड, काँगड़ा को चैक स.-334285 दिनांक 19.12.2015 द्वारा उनके बिल स.-242394 दिनांक 24.09.15 ₹7209 व बिल स.-243550 दिनांक 06.10.15 ₹2634/- के अन्तर्गतविज्ञापन इत्यादि के लिए किया गया।

उपरोक्त विलों की जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि मै. दिव्य हिमाचल प्रकाशन प्रा. लिमिटेड, काँगड़ा द्वारा नगर पंचायत चुवाड़ी से D.A.V.P.(Directorate of Advertising and Visual Publicity) New Delhi द्वारा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य का बिल भेजकर अधिक भुगतान प्राप्त किया गया था D.A.V.P. द्वारा मै. दिव्य हिमाचल प्रकाशन प्रा. लिमिटेड, काँगड़ा की सरकारी विज्ञापनों की दरें ₹20.40 प्रति स्क्वेयर cm ( Net rate after agency discount of 15%) तय की गई थी यह दरें अवधि 19.11.13 से 31.12.15 के लिए निर्धारित की गईं थी I विलों की जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा ₹24.03 प्रति स्क्वेयर cmव ₹41.15 प्रति स्क्वेयर cm की दर से भुगतान किया गया था। इस प्रकार कुल ₹2417 का अधिक भुगतान किया गया था ,जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

| क्र. स. | बिल स. | कुल आकार | दर | राशि | DAVP दर | राशि | जितना अधिक भुगतान किया गया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242394 | 300 Sq cm | 24.03 | 7209 | 20.40 | 6120 | 1089 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 243550 | 64 Sq cm | 41.15 | 2634 | 20.40 | 1306 | 1328 |
| कुल जितना अधिक भुगतान किया | | | | | | | 2417 |

अत: अधिक भुगतान की गई राशि बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा चूककर्ता से ₹2417/- की वसूली करके नगर पंचायत निधि खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए ।

**(ग) ₹1645/- के अधिक भुगतान बारे**

**वाउचर स.-14, दिनांक 19.12.2015 ₹10840**

₹10840 का भुगतान मै. अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, धर्मशालाको चैक स.-334284 दिनांक 19.12. 2015 द्वारा उनके बिल स.-D-DHM-15080570 दिनांक 2 8.08.15 ₹1379/- व बिल स.-D-DHM-15090372 दिनांक 25.09.15 ₹9461 के अन्तर्गत विज्ञापन इत्यादि के लिए किया गया।

उपरोक्त विलों की जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि मै. अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, धर्मशाला द्वारा नगर पंचायत चुवाड़ी से D.A.V.P.(Directorate of Advertising and Visual Publicity) New Delhi द्वारा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य का बिल भेजकर अधिक भुगतान प्राप्त किया गया था I D.A.V.P. द्वारा मै. अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड की सरकारी विज्ञापनों की दरें ` 20.90 प्रति स्क्वेयर cm (Net rate after agency discount of 15%) तय की गई थी यह दरें अवधि 15.10.13 से 31.12.15 के लिए निर्धारित की गईं थी। विलों की जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत से` 24.64 प्रति स्क्वेयर cm की दर से भुगतान प्राप्त किया गया था I इस प्रकार ₹3.74 प्रति स्क्वेयर cm की दर से अधिक भुगतान किया गया जोकि कुल अधिक भुगतान की ₹1644/- बनती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

| **क्र. स.** | **बिल स.** | **विज्ञापन का आकार व क्षेत्र** | **दर** | **राशि** | **DAVP दर** | **राशि** | **जितना अधिक भुगतान किया गया** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-DHM-15080570 | 56 Sq cm | 24.64 | 1379 | 20.90 | 1170 | 209 |
| 2 | D-DHM-15090372 | 384Sq cm | 24.64 | 9461 | 20.90 | 8026 | 1435 |
| कुल जितना अधिक भुगतान किया | | | | | | | 1644 |

अत: अधिक भुगतान की गई राशि बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा चूककर्ता से राशि ₹1644/- की वसूली करके नगर पंचायत निधि खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए I

**( घ) ₹ 1371 के अधिक भुगतान बारे (BRGF निधि)**

**i)** (वाउचर स.-23, दिनांक 22.03.17 ₹26395)

**ii)** (वाउचर स.-05, दिनांक 22.03.17 ₹99997)

₹26395/- का भुगतान मै. हिमालय इंजीनियरिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल एरिया- ढलियारा, तहसील देहरा, जिला काँगड़ा को चैक स.-991193 द्वारा उनके बिल स.-665 दिनांक 21.03.17

₹133087/- की बकाया राशि के रूप में किया गया I उपरोक्त बिल की जाँच-पड़ताल में पाया गया कि नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा Dustbin (size 3x5x4.6) और (size 3 x 4 x 4) की पांच, पांच न. की आपूर्ति हेतु न्यूनतम दर सविंदा के आधार पर मै. हिमालय इंजीनियरिंग वर्क्स, को आपूर्ति आदेश स. 103 दिनांक 13.02.17 को जारी किया गया और आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल स.-665 दिनांक 21.03.17 के द्वारा सामान की आपूर्ति की गई। नगर पंचायत द्वारा उक्त बिल को निम्न प्रकार से पारित किया गया:-

| **क्र.स.** | **विवरण** | **मात्रा** | **दर** | **राशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustbin size (3x5x4.6) | 5 न. | 15100/- | 75500 |
| 2 | Dustbin size (3x4x 4) | 5 न. | 8300/- | 41500 |
| | कुल योग | | | 117000 |
| | वैट टैक्स (13.75%) | | | 16087.50 |
| | महायोग | | | 133087.50 |
| Less | Sales tax+incometax+Surcharge+Labour cess 3%+2%+1%+1% (3993+2662+80+1331) | | | 8066 |
| | Net Payment Rs. | | | 125021 |

उपरोक्त विल की जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा ₹99997 का भुगतान चैक स.678409 (BRGF निधि) दिनांक 22.03.17 द्वारा और ₹26395 का भुगतान चैक स. 991193 (SFC fund) दिनांक 22.03.17 द्वारा किया गया था। अत: इस प्रकार कुल ₹126392/- (99997+26395) का भुगतान किया गया था जबकि भुगतान योग्य ₹125021/- बनती थी । बिल से काटी गई शेष देय ₹8066 का भुगतान, वाउचर स.24 दिनांक 22.03.17 ₹2742/- आय कर + वाउचर स.25 दिनांक 22.03.17 ₹3993/- बिक्री कर + वाउचर स.26 दिनांक 22.03.17 ₹1331 लेबर सेस के अंतर्गत किया गया था । इस प्रकार मै. हिमालय इंजीनियरिंग वर्क्स, को ₹1371 (126392-125021) का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली चूककर्ता से करके नगर पंचायत के सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें व अनुपालना से अगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

**18 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना**

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत के विभिन्न भण्डार रजिस्टरों में दर्ज सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना आपेक्षित था ।अतः नियमों की अनुपालना से भण्डार का भौतिक सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्यवाही से इस विभाग/ कार्यालय को अवगत करवाया जाए ।

**19 लघु आपति विवरणी :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

**20 निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)5–77/83 खण्ड–4–2982–2983 दिनांक 01.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 की पैरा संख्या 1 (ख) पर वर्णित गम्भीर अनियतिताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्त/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

**परिशिष्ट – "क"** **पैरा 1 (ग) के सन्दर्भ में**

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/96 तक**

| क्रम स. | पैरा संख्या | निर्णीत/अनिर्णीत | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 (क) | अनिर्णीत | |
| 2 | 8 | निर्णीत | न्यायालय द्वारा इस प्रकरण के संदर्भ में दिए गए निर्णय के आधार पर। |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/2005 तक**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 (1) से 7(4) | निर्णीत | आय कर बिक्री कर व जल प्रभार के रूप में शेष ₹33791 की वसूली कर ली गई,जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। |
| 2 | 9 (i) | निर्णीत | ₹12886 की वसूली G-8 स.-88/26 दिनांक 29.02.08 के अंतर्गत कर ली गई थी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है । |
| 3 | 9 (ii) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर। |
| 4 | 9 (iii) | अनिर्णीत | |
| 5 | 10 | अनिर्णीत | |
| 6 | 12 | अनिर्णीत | |
| 7 | 14 | अनिर्णीत | |
| 8 | 15 | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर व तथ्यों की पुष्टि करने उपरांत। |
| 9 | 16 | अनिर्णीत | |
| 10 | 17 | निर्णीत | ₹3750 की प्रतिपूर्ति G-8 स.-180/37 दिनांक 04.04.13 के अंतर्गत कर ली गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई । |
| 11 | 18 | निर्णीत | ₹5000 की प्रतिपूर्ति G-8 स.-178/40 दिनांक 21.03.13 के अंतर्गत कर ली गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई । |
| 12 | 19 | निर्णीत | प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर। |
| 13 | 21 | अनिर्णीत | |
| 14 | 22 | अनिर्णीत | |
| 15 | 23 | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर अभिलेख की पुष्टि कर ली गई । |
| 16 | 24 | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 17 | 25 | निर्णीत | ₹270 की वसूली G-8 संख्या-37/47 दिनांक 30.10.17 के अंतर्गत कर ली गई । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | 26 | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 19 | 27 | अनिर्णीत | |
| 20 | 28 (1) | निर्णीत | पैरा अपडेटेड (Shop Rent) |
| 21 | 28 (2) | निर्णीत | न्यायालय द्वारा इस प्रकरण के संदर्भ में दिए गए निर्णय के आधार पर। |
| 22 | 28 (3) | निर्णीत | पैरा अपडेटेड (Shops) |
| 23 | 28 (4) | निर्णीत | अंकेक्षण के दौरान अभिलेख दर्शा दिया गया । |
| 24 | 29 (1) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 25 | 29 (2) | निर्णीत | पैरा अपडेटेड (गृह कर) |
| 26 | 29 (3) | अनिर्णीत | |
| 27 | 29 (4) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर सम्बन्धित अधिसूचना अंकेक्षण के दौरान दर्शा दी गई । |
| 28 | 30 | निर्णीत | पैरा अपडेटेड |
| 29 | 32 (1) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर व अंकेक्षण के दौरान अभिलेख दर्शा दिया गया । |
| 30 | 32 (2) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 31 | 32 (3) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 32 | 33 | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, अभिलेख दर्शा दिया गया। |
| 33 | 34 | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2007 तक**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 (iii) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 2 | 4 (iv) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर अभिलेख की पुष्टि कर ली गई । |
| 3 | 4 (ix) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 4 | 4 (x) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 5 | 5 (i) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 6 | 6 (i) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 7 | 6 (viii) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 8 | 7 (1) (क) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 9 | 7 (iii) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 10 | 7 (iv) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 11 | 10 | निर्णीत | अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की पुष्टि कर ली गई। |

**(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2011 तक**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | निर्णीत | पैरा अपडेटेड (अनुदान) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 7 (1) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 3 | 7 (4) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 4 | 7 (5) | निर्णीत | प्रस्तुत के आधार पर । |
| 5 | 7 (7) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 6 | 8 (2) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 7 | 9 (1) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 8 | 9 (2) | निर्णीत | पैरा अपडेटेड (बजट) |
| 9 | 9 (3) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 10 | 10 (1) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर अभिलेख की पुष्टि कर ली गई । |
| 11 | 10 (4) | अनिर्णीत | |
| 12 | 10 (5) | अनिर्णीत | |
| 13 | 10 (6) | निर्णीत | ₹1500 की वसूली को G-8 स.12/222 दिनांक 16.02.15 द्वारा चूककर्ता से प्राप्त करके निधि में जमा करवा दिया गया जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है । |
| 14 | 10 (8) | अनिर्णीत | |
| 15 | 10 (9) | अनिर्णीत | |
| 16 | 11 (1) | अनिर्णीत | |
| 17 | 11 (2) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 18 | 11 (3) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 19 | 11 (4) | अनिर्णीत | |
| 20 | 11 (6) | अनिर्णीत | |
| 21 | 11 (7) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 22 | 11 (8) | अनिर्णीत | |
| 23 | 12 (1) | निर्णीत | पैरा अपडेटेड (प्रत्यक्ष सत्यापन ) |
| 24 | 12 (2) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |

**(ड.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012 तक**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | निर्णीत | पैरा अपडेटेड |
| 2 | 5 | निर्णीत | पैरा अपडेटेड (निवेश) |
| 3 | 6 | निर्णीत | पैरा अपडेटेड (अनुदान) |
| 4 | 7 (1) | निर्णीत | पैरा अपडेटेड (वितीय स्थिति) |
| 5 | 7 (2) | निर्णीत | पैरा अपडेटेड (गृह कर ) |
| 6 | 7 (3) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 7 | 7 (4) | निर्णीत | पैरा अपडेटेड ( नव-निर्मित भवनों पर गृह कर वसूल न करना ) |
| 8 | 7 (5) | निर्णीत | पैरा अपडेटेड ( दुकानों का किराया ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 7 (6) | अनिर्णीत | |
| 10 | 7 (7) | निर्णीत | ₹240 की वसूली G-8 स.5/171 दिनांक 21.09.12 को चूककर्ता से कर ली गई थी, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई । |
| 11 | 7 (8) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 12 | 7 (9) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 13 | 7 (10) | निर्णीत | पैरा अपडेटेड ( मोबाईल टावर की नवीनीकरण फ़ीस ) |
| 14 | 9 (1) | निर्णीत | अभिलेख की पुष्टि कर ली गई I |
| 15 | 9 (2) | निर्णीत | क्रय सामग्री की स्टाक प्रविष्टि MAS रजिस्टर पर कर ली गई थी जिसकी पुष्टि कर ली गई । |
| 16 | 9 (3) | अनिर्णीत | |
| 17 | 9 (4) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 18 | 9 (5) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 19 | 10 | अनिर्णीत | |
| 20 | 11 | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर व अभिलेख की पुष्टि कर ली गई। |
| 21 | 12 (1) | निर्णीत | प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |
| 22 | 12 (2) | निर्णीत | पैरा अपडेटेड (प्रत्यक्ष सत्यापन ) |
| 23 | 12 (3) | निर्णीत | त्रुटी का सुधार कर लिया गया, प्रस्तुत उत्तर के आधार पर । |

| | |
|---|---|
| दिनांक 31.3.12 तक अनिर्णीत पैरे | 93 |
| वर्तमान अंकेक्षण अवधि में लगाए गए पैरे | 15 |
| वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे | 72 |
| **कुल** | **36** |